पत्रावली दिनांक 12/8/19 को पेश हो।

आज्ञा से

उपखण्ड अधिकारी

सलुम्बर

25/06/19

अधिवक्ता अर्थी ने अर्थना पत्र पत्रावली तलब किया जाने के पेश होने के प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली तिगे से तलब की गयी तथा उक्त मूल वाद के पक्ष शामिल फाईल किया गया। पत्रावली तिगे से तलब की जाकर पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता अर्थी ने प्रार्थना-पत्र आदेश-23, नियम-1 CPC प्रकरण को वापिस लिया जाकर निरस्त हेतु निवेदन किया है।

हमने विद्वान अधिवक्ता अर्थी द्वारा प्रस्तुत अर्थना-पत्र को स्वीकार किया जाता है। तथा न्यायालय द्वारा दिनांक-26/3/2019 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को समाप्त किया जाता है तथा प्रार्थना-पत्र को रद्द stage पर निरस्त किया जाता है। प्रकरण में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

पत्रावली के रिकार्ड शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुने न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर सलुम्बर
जिला-उदयपुर

Scanned by CamScanner